रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17082021-229079
CG-DL-E-17082021-229079

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3109] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 17, 2021/श्रावण 26, 1943
No. 3109] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 17, 2021/SHRAVANA 26, 1943

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अगस्त, 2021

सं. 19 /2015–2020

विषयः–निर्यातित उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट (आरओडीटीईपी) हेतु स्कीम संबंधी दिशा निर्देश।

का.आ. 3359(अ).—विदेश व्यापार नीति, 2015–2020 के पैरा 1.02 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 5 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा विदेश व्यापार नीति 2015–2020 में तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन करती हैः

2. विदेश व्यापार नीति 2015–2020 के पैरा 4.01 में एक उप–पैरा (ड.) निम्नानुसार शामिल किया जाता हैः

''(ड.) वाणिज्य विभाग द्वारा अधिसूचित और राजस्व विभाग द्वारा प्रशासित निर्यातित उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट (आरओडीटीईपी) हेतु स्कीम।

3. विदेश व्यापार नीति 2015–2020 के अध्याय 4 में निम्नलिखित को भी जोड़ा जाता हैः

निर्यातित उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट (आरओडीटीईपी) हेतु स्कीम

4.54 स्कीम का उद्देश्य और प्रचालन सिद्धांत

i. स्कीम का उद्देश्य इस समय रिफंड नहीं की जा रही राशि का रिफंड करना हैः

(क) निर्यातित उत्पाद पर वहन किए जाने वाले केन्द्रीय, राज्य और स्थानीय स्तर के शुल्क/कर/लेवी जिनमें निर्यातित उत्पाद के उत्पादन में उपयोग किए गए माल और सेवाओं पर पूर्वचरण के संचयी अप्रत्यक्ष कर शामिल हैं और

(ख) निर्यातित उत्पाद के वितरण से संबंधित ऐसे अप्रत्यक्ष शुल्क/कर/लेवी।

ii. स्कीम के अंतर्गत पहले से छूट प्राप्त अथवा प्रेषित अथवा क्रेडिट की गई शुल्क और करों के लिए उपलब्ध नहीं होगी।

iii. स्कीम के अंतर्गत अधिकतम दरों का निर्धारण राजस्व विभाग (डीओआर)/शुल्क वापसी प्रभाग की एक समिति द्वारा किया जाएगा जिसमें वाणिज्य विभाग और राजस्व विभाग द्वारा प्राथमिकता दिए गए क्षेत्रों पर वाणिज्य विभाग (डीओसी)/विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी), लाईन मंत्रालयों और विशेषज्ञों का उपयुक्त प्रतिनिधित्व होगा।

iv. आरओडीटीईपी स्कीम के लिए समग्र बजट/परिव्यय को सभी प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए वाणिज्य विभाग के परामर्श से वित्तमंत्रालय द्वारा अंतिम रूप दिया जाएगा। स्कीम को बजटीय विनियोजनों के आधार पर कार्यान्वित किया जाएगा और स्कीम के अंतर्गत लाभ एक वित्तीय वर्ष में उपलब्ध बजट तक सीमित रहेंगे और उपयुक्त नियंत्रण उपाय किए जाएंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई प्रतिबद्ध और आकस्मिक दायित्व उत्पन्न न हों जिसे वित्तीय वर्ष हेतु बजटीय आबंटन के अंदर पूरा न किया जा सके।

v. यह स्कीम प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए एक बजटीय ढ़ांचे में परिचालित होगी और जब भी आवश्यक हो, स्कीम के लाभों के लिए अपेक्षित कैलीब्रेशन और संशोधन किए जाएंगे, ताकि प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए अनुमानित छूट स्कीम के अनुमोदित बजट के भीतर प्रबंधित की जा सके। अगले वित्तीय वर्ष में अग्रेनीत होने वाली स्कीम के तहत बकाया या आकस्मिक देनदारियों की छूट के लिए कोई प्रावधान अनुमत नही है।

vi. सेक्टरों के बीच स्कीम को शुरू करने का क्रम, कवर किए जाने वाले सेक्टरों के प्राथमिकीकरण, अंतिम रूप से तैयार किए गए समग्र बजट/परिव्यय के भीतर अनुमत्य प्रतिमद/कुल समग्र लाभ की राशि के अनुसार, समिति द्वारा निर्धारित दर के भीतर और यथाविहित अधिकतम सीमा के भीतर विभिन्न मदों पर दिए जाने वाली लाभ की मात्रा राजस्व विभाग के परामर्श से वाणिज्य विभाग द्वारा तय की जाएगी और अधिसूचित की जाएगी।

vii. स्कीम के अंतर्गत जब भी आवश्यक हो अधिसूचित 8 अंकीय एचएस कोडों के तहत श्रेणीबद्ध मदों का निर्यात करने पर पात्र निर्यातकों को छूट प्रतिइकाई अधिकतम मूल्य सीमा के साथ निर्यात के एफओबीमूल्य प्रतिशत के रुप में प्रदान किया जाएगा। तथापि, कतिपय निर्यात मदों के लिए प्रतिइकाई छूट की राशि की एक निर्धारित मात्रा भी अधिसूचित की जा सकती है। आरओडीटीईपी के अंतर्गतछूट की दरें/प्रति इकाई अधिकतम मूल्य सीमा परिशिष्ट 4द में अधिसूचित की जाएगी। आवश्यक परिवर्तनों के अलावा, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, बजटीय नियंत्रण उपायों को ध्यान में रखते हुए, वार्षिक आधार पर आरओडीटीईपी दरों की समीक्षा करने और वित्तीय वर्ष की शुरु होने से पहले इन्हें अग्रिम रुप से अधिसूचित करने के प्रयास किए जाएंगे।

viii. अनुमत छूट विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 के अंतर्गत अनुमत समय के अंदर विक्रय आय प्राप्ति के अधीन है ऐसा न होने पर माना जाएगा कि ऐसी छूट कमी अनुमत नहीं की गयी है। छूट दिया जाना छूट जारी करते समय निर्यात आय की प्राप्ति पर निर्भर नहीं करेगा। तथापि, वसूली नहीं होने की वजह से किसी दुरूपयोग से बचने के लिए पर्याप्त रक्षोपाय और अन्य प्रणालीगत सुधार, जैसा कि निर्यात से सम्बंधित ड्राबैक स्कीम, आईजीएसटी और अन्य जीएसटी रिफंडों में लागू हैं, आरओडीटीईपी स्कीम के तहत किए गए दावों के लिए भी लागू होंगे।

ix. छूट जारी करने की प्रक्रियाः स्कीम को रिबेट की राशि को शुरू से अंत डिजीटाइजेशन के माध्यम से हस्तांतरणीय शुल्क क्रेडिट/इलेक्ट्रॉनिक स्क्रिप (ई–स्क्रिप) के रूप में जारी करने के माध्यम से कार्यान्वित किया जाएगा जिसका केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) द्वारा इलेक्ट्रॉनिक लेजर में रख रखाव किया जाएगा। स्कीम के अंतर्गत आरओडीटीईपी दावों को जारी करने संबंधी आवश्यक नियमों और प्रक्रिया और आवेदन का तरीका, आवेदन हेतु समयावधि सहित कार्यान्वयन मुद्दों और निर्यात–वसूली, निर्यात प्रलेखन, नमूना प्रक्रियाए, रिकार्ड रखना इत्यादि सहित अन्य मामलों से संबंधित आवश्यक नियमों और प्रक्रिया को सीबीआईसी, राजस्व विभाग द्वारा शुरू से अंत तक डिजीटाइजेशन हेतु सूचना एवं प्रौद्योगिकी समर्थित प्लेटफार्म पर अधिसूचित किया जाएगा। जहां विदेशी मुद्रा की प्राप्ति नहीं हुई है वहां रिबेट की राशि की वसूली, कपट और दुरूपयोग के मामले में आरओडीटीईपी राशि का निलंबन/रोकने तथा जुर्माना लगाने हेतु आवश्यक प्रावधान भी सीबीआईसी द्वारा उपयुक्त रूप से जारी किए जाएंगे।

x. स्कीम, 1 जनवरी, 2021 से किए गए निर्यात के लिए लागू होगी। तथापि, पैरा 4.55(x), (xi) और (xii) के तहत की श्रेणियों द्वारा किए गए निर्यात के लिए, कार्यान्वयन तारीख के बारे में निर्णय पैरा 4.55ख के प्रावधानों के अनुसार बाद में लिया जाएगा

4.55 स्कीम के अंतर्गत अपात्र आपूर्तियां/मदें/श्रेणियांः निर्यात/निर्यातकों की निम्नलिखित श्रेणियां आरओडीटीईपी स्कीम के अंतर्गत छूट हेतु पात्र नहीं होगीः

i. विदेश व्यापार नीति के पैरा 2.46 के अंतर्गत शामिल आयातित माल का निर्यात।

ii. ट्रांसशिपमेंट के माध्यम से किया जाने वाला निर्यात जिसका अभिप्राय तीसरे देश से शुरु किया गया निर्यात है परंतु जिसे भारत से ट्रांस–शिप किया गया हो।

iii. निर्यात उत्पाद जो न्यूनतम निर्यात मूल्य या निर्यात शुल्क के अधीन हो।

iv. उत्पाद जो आईटीसी (एचएस) में निर्यात नीति की अनुसूची–2 के तहत निर्यात हेतु प्रतिबंधित हो।

v. उत्पाद जो आईटीसी (एचएस) में निर्यात नीति की अनुसूची–2 के तहत निर्यात हेतु निषिद्ध हो।

vi. मान्य निर्यात

vii. एसई जेड/एफटीडब्लू जेड इकाइयों हेतु डीटीए इकाईयों द्वारा विनिर्मित उत्पादों की आपूर्तियाँ।

viii. ईएचटीपी और बीटीपी में विनिर्मित उत्पाद।

ix. सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 65 के तहत गोदाम में आंशिक रुप से या संपूर्ण रुप से विनिर्मित उत्पाद।

x. संबद्ध विदेश व्यापार नीति की शुल्क माफी योजना के तहत जारी किए गए अग्रिम प्राधिकार पत्र या शुल्क मुक्त आयात प्राधिकार पत्र या विशेष अग्रिम प्राधिकार पत्र के तहत निर्यात दायित्व के निर्वहन में विनिर्मित या निर्यातित उत्पाद।

xi. विदेश व्यापार नीति के प्रावधानों के संबंध में सौ प्रतिशत निर्यात उन्मुख इकाई (ईओयू) के रुप में लाइसेंस प्राप्त इकाई द्वारा विनिर्मित या निर्यातित उत्पाद।

xii. मुक्त व्यापार क्षेत्रों या निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्रों या विशेष आर्थिक क्षेत्रों में स्थित किसी भी इकाइयों द्वारा विनिर्मित या निर्यातित उत्पाद।

xiii. 1 अप्रैल, 1997 की अधिसूचना सं. 32/1997–सीमाशुल्क का लाभ उठाकर विनिर्मित या निर्यातित उत्पाद।

xiv. निर्यात जिसके लिए आईस गेट ईडीआई से इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज जारी नहीं किया गया हो/गैर–ईडीआई पत्तनों से निर्यात।

xv. वस्तुएं जिनका विनिर्माण के बाद उपयोग किया गया हो।

4.55क तथापि, सरकार के पास उपर यथाउल्लिखित किस भी श्रेणियों को बाद की तारीख में आरओडीटीईपी के कार्य क्षेत्र के तहत शामिल करने या इससे बाहर रखने हेतु संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित है।

4.55ख उपर्युक्त पैरा 4.55 (x), (xi) और (xii) में उल्लिखित श्रेणियों द्वारा किए गए निर्यात को शामिल करने और ऐसी श्रेणियों के तहत निर्यात मदों के लिए आरओडीटीईपी दरों को आरओडटीईपी समिति की सिफारिशों के आधार पर तय किया जाएगा।

4.56 छूट का स्वरुपः ई–स्क्रिप का उपयोग केवल सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची के तहत लगाए जाने वाले सीमाशुल्क अर्थात् मूल सीमा शुल्क के भुगतान हेतु किया जाएगा।

4.57 निगरानी, लेखा परीक्षा एवं जोखिम प्रबंधन प्रणालीः लेखा परीक्षा और सत्यापन के प्रयोजन के लिए, निर्यातक को योजना के तहत किए गए दावों को सत्यापित करने के लिए रिकार्ड रखने की आवश्यकता होगी। आईटी आधारित जोखिम प्रबंधन प्रणाली (आरएमएस) के साथ एक निगरानी और लेखा परीक्षा तंत्र को सीबीआईसी, राजस्व विभाग द्वारा नमूना आधार पर निर्यातकों के रिकार्ड को वास्तविक रूप से सत्यापित करने के लिए रखा जाएगा। जोखिम और अन्य प्रासंगिक मानदंडों के आधार पर वास्तविक सत्यापन के लिए नमूना मामलों को आरएमएस द्वारा निष्पक्ष रूप से तैयार किया जाएगा।

4.57क एक व्यापक स्तर की निगरानी के लिए, आउटपुट आउटकम ढांचे को बनाए रखा जाएगा और नियमित अंतराल पर निगरानी की जाएगी।

4.58 शेष मुद्देः स्कीम से संबंधित बाद में उत्पन्न होने वाले शेष मुद्दों पर अंतर–मंत्रालयी समिति जिसका नाम ''आरओडीटीईपी नीति समिति'' (आरपीसी) है जिसके अध्यक्ष विदेश व्यापार महानिदेशक है (जिसमें वाणिज्य विभाग और राजस्व विभाग के सदस्य होंगे), द्वारा विचार किया जाएगा, जिसके निर्णय बाध्यकारी होंगें।

4.59 आरओडीटीईपी की पात्र निर्यात मदें दरें और, जहां कहीं लागू है, प्रतिईकाई मूल्य सीमा युक्त परिशिष्ट 4द डीजीएफटी के पोर्टल www.dgft.gov.in पर 'रेगुलेटरी अपडेट्स>आरओडीटीईपी' लिंक पर उपलब्ध है।

इस अधिसूचना का प्रभावः निर्यातित उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट की नई स्कीम हेतु स्कीम दिशानिर्देशों और दरों को अधिसूचित किया गया है।

[फा. सं. 01/61/180/155/एएम21/पीसी–3]

अमित यादव, महानिदेशक विदेश व्यापार
एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th August, 2021

No. 19 /2015-2020

Subject : Scheme Guidelines for Remission of Duties and Taxes on Exported Products (RoDTEP)

S.O. 3359(E).—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 read with Para 1.02 of the Foreign Trade Policy 2015-20, the Central Government hereby makes the following amendments in the Foreign Trade Policy 2015-20 with immediate effect:

2. A sub-para (e) is inserted in para 4.01 of the Foreign Trade Policy 2015-20 as below:

"(e) Scheme for Remission of Duties and Taxes on Exported Products (RoDTEP) notified by Department of Commerce and administered by Department of Revenue.

3. The following is also added in the chapter 4 of the Foreign Trade Policy 2015-20:

SCHEME FOR REMISSION OF DUTIES AND TAXES ON EXPORTED PRODUCTS (RoDTEP)

4.54 Scheme Objective and Operating Principles

i. The Scheme's objective is to refund, currently un-refunded:

   a. Duties/taxes/levies, at the Central, State and local level, borne on the exported product, including prior stage cumulative indirect taxes on goods and services used in the production of the exported product and

   b. Such indirect Duties/ taxes/levies in respect of distribution of exported product.

ii. The rebate under the Scheme shall not be available in respect of duties and taxes already exempted or remitted or credited.

iii. The determination of ceiling rates under the Scheme will be done by a Committee in the Department of Revenue/Drawback Division with suitable representation of the DoC/DGFT, line ministries and experts, on the sectors prioritized by Department of Commerce and Department of Revenue.

iv. The overall budget/outlay for the RoDTEP Scheme would be finalized by the Ministry of Finance in consultation with Department of Commerce (DoC), taking into account all relevant factors.

v. The Scheme will operate in a Budgetary framework for each financial year and necessary calibrations and revisions shall be made to the Scheme benefits, as and when required, so that the projected remissions for each financial year are managed within the approved Budget of the Scheme. No provision for remission of arrears or contingent liabilities is permissible under the Scheme to be carried over to the next financial year.

vi. The sequence of introduction of the Scheme across sectors, prioritization of the sectors to be covered, degree of benefit to be given on various items within the rates set by the Committee and within a ceiling as may be prescribed, on the per item/total overall benefit amount permissible, within the overall budget/ outlay finalized, will be decided and notified by the Department of Commerce (DoC) in consultation with Department of Revenue.

vii. Under the Scheme, a rebate would be granted to eligible exporters at a notified rate as a percentage of FOB value with a value cap per unit of the exported product, wherever required, on export of items which are categorized under the notified 8 digit HS Code. However, for certain export items, a fixed quantum of rebate amount per unit may also be notified. Rates of rebate/value cap per unit under RoDTEP will be notified in Appendix 4 R. In addition to necessary changes which may be brought in view of budget control measures as mentioned above, efforts would be made to review the RoDTEP rates on an annual basis and to notify them well in advance before the beginning of a financial year.

viii. The rebate allowed is subject to the receipt of sale proceeds within time allowed under the Foreign Exchange Management Act, 1999 failing which such rebate shall be deemed never to have been allowed. The rebate would not be dependent on the realization of export proceeds at the time of issue of rebate. However, adequate safeguards to avoid any misuse on account of non-realization and other systemic improvements as in operation under Drawback Scheme, IGST and other GST refunds relating to exports would also be applicable for claims made under the RoDTEP Scheme.

ix. Mechanism of Issuance of Rebate: Scheme would be implemented through end to end digitization of issuance of rebate amount in the form of a transferable duty credit/electronic scrip (e-scrip), which will be maintained in an electronic ledger by the Central Board of Indirect Taxes & Customs (CBIC). Necessary rules and procedure regarding grant of RoDTEP claim under the Scheme and implementation issues including manner of application, time period for application and other matters including export realization, export documentation, sampling procedures, record keeping etc. would be notified by the CBIC, Department of Revenue on an IT enabled platform with a view to end to end digitization. Necessary provisions for recovery of rebate amount where foreign exchange is not realized, suspension/withholding of RoDTEP in case of frauds and misuse, as well as imposition of penalty will also be built suitably by CBIC.

x. The Scheme will take effect for exports from 1st January, 2021. However for exports made by categories under Para 4.55 (x), (xi) and (xii), the implementation date will be decided later as per provisions of Para 4.55B.

4.55 Ineligible Supplies/Items/Categories under the Scheme: The following categories of exports/ exporters shall not be eligible for rebate under RoDTEP Scheme:

i. Export of imported goods covered under paragraph 2.46 of FTP

ii. Exports through trans-shipment, meaning thereby exports that are originating in third country but trans-shipped through India

iii. Export products which are subject to Minimum export price or export duty

iv. Products which are restricted for export under Schedule-2 of Export Policy in ITC (HS)

v. Products which are prohibited for export under Schedule-2 of Export Policy in ITC (HS).

vi. Deemed Exports

vii. Supplies of products manufactured by DTA units to SEZ/FTWZ units

viii. Products manufactured in EHTP and BTP

ix. Products manufactured partly or wholly in a warehouse under section 65 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962)

x. Products manufactured or exported in discharge of export obligation against an Advance Authorization or Duty Free Import Authorization or Special Advance Authorization issued under a duty exemption scheme of relevant Foreign Trade Policy

xi. Products manufactured or exported by a unit licensed as hundred per cent Export Oriented Unit (EOU) in terms of the provisions of the Foreign Trade Policy

xii. Products manufactured or exported by any of the units situated in Free Trade Zones or Export Processing Zones or Special Economic Zones

xiii. Products manufactured or exported availing the benefit of the Notification No. 32/1997-Customs dated 1st April, 1997.

xiv. Exports for which electronic documentation in ICEGATE EDI has not been generated/ Exports from non-EDI ports

xv. Goods which have been taken into use after manufacture

4.55 A Government, however, reserves the right to modify any of the categories as mentioned above for inclusion or exclusion under the scope of RoDTEP, at a later date.

4.55 B Inclusion of exports made by categories mentioned in para 4.55 (x), (xi) and (xii) above and RoDTEP rates for export items under such categories would be decided based on the recommendations of the RoDTEP Committee.

4.56 Nature of Rebate: The e-scrips would be used only for payment of duty of Customs leviable under the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 viz. Basic Customs Duty.

4.57 Monitoring, Audit and Risk Management System:

For the purposes of audit and verification, the exporter would be required to keep records substantiating claims made under the Scheme. A monitoring and audit mechanism with an IT based Risk Management System (RMS) would be put in place by the CBIC, Department of Revenue to physically verify the records of the exporters on sample basis. Sample cases for physical verification will be drawn objectively by the RMS, based on risk and other relevant parameters.

4.57A For a broad level monitoring, an Output Outcome framework will be maintained and monitored at regular intervals.

4.58 Residual Issues: Residual issues related to the Scheme arising subsequently shall be considered by an Inter-Ministerial Committee, named as "RODTEP Policy Committee (RPC)" chaired by DGFT (comprising members of Department of Commerce and Department of Revenue), whose decisions would be binding.

4.59 The Appendix 4R containing the eligible RoDTEP export items, rates and per unit value caps, wherever applicable is available at the DGFT portal www.dgft.gov.in under the link 'Regulatory Updates >RoDTEP'.

Effect of this Notification: Scheme guidelines and rates for the new Scheme for Remission of Duties and Taxes and Exported Products have been notified.

[F. No. 01/61/180/155/AM21/PC3]

AMIT YADAV, Director General of Foreign Trade
Ex-officio Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2021.08.17 20:57:04 +05'30'